संख्या- 163 /2026/1290 /चार-2026-1687510

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 14 मई, 2026**

विषय:- जनपद रायबरेली में अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार एवं पुस्तकालय के निर्माण कार्य (प्रथम चरण) तथा सभागार/ पुस्तकालय इत्यादि के लाइट, साउण्ड आदि आन्तरिक कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-209/सं0नि0-6(47)/2023-24 दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 272 /2023/3673/चार-2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण हेतु रू0 2127.87 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक इस परियोजना हेतु रू0 1835.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या- 288 /2025/2432 /चार-2025-1687510 दिनांक 22 अगस्त, 2025 द्वारा जनपद रायबरेली में अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय के लाइट, साउण्ड आदि आन्तरिक कार्य कराये जाने हेतु रू0 424.10 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 212.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित परियोजना के सम्मुख **स्तम्भ- 4** में अंकित धनराशि की **संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** तथा स्तम्भ-7 में अंकित 5% धनराशि रोकते हुए, **स्तम्भ-8** में अंकित धनराशि की **वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए, प्रस्तर-3 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

शीर्षक	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	निविदा लागत	लागत के सापेक्ष स्वीकृति	अवशेष धनराशि	5% रोकी जाने वाली धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (4 x 5%)	8 (6-7)
राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में **सभागार एवं पुस्तकालय** के निर्माण कार्य प्रथम चरण हेतु	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	2127.87	2115.09	1835.62	279.47	105.75	173.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार/ पुस्तकालय आदि के **लाइट, साउण्ड आदि आन्तरिक कार्य**	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	424.10	421.55	212.05	209.50	21.08	188.42
कुल (रूपये तीन करोड़ बासठ लाख चौदह हजार मात्र)							**362.14**

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) शासनादेश संख्या- 166/2022/1718/चार-2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022, शासनादेश संख्या- 257/2023/ 1910/चार-2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023, शासनादेश संख्या- 271 /2023/3673 /चार-2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023, शासनादेश संख्या- 357 /2023/7579 /चार-2023 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023, शासनादेश संख्या- 61 /2025/63 /चार-2025 दिनांक 10 फरवरी, 2025, शासनादेश संख्या- 272 /2025/ 2087 /चार-2025-1687510 दिनांक 21 जुलाई, 2025 तथा शासनादेश संख्या- 353 /2025/ 3490 /चार-2025-1687510 दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) शासनादेश संख्या- 288 /2025/2432 /चार-2025-1687510 दिनांक 22 अगस्त, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजनाओं हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TQPA) **15 दिवस के अन्दर** उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,62,14,000/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख चौदह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 163 /2026/ 1290 (1) /चार-2026-1687510 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-8, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।